

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

2023-364RAAJodhpur2023-181RTA223 Kilaram ors Vs Hamiraram etc

2023-365RAAJodhpur2023-179RTA223 Kilaram ors Vs Hamiraram etc

01. किलाराम पुत्र श्री बुधाराम
 02. ईमरती पत्नी श्री कोलाराम
 03. छगनाराम पुत्र श्री कोलाराम
 04. रूघनाथराम पुत्र श्री कोलाराम
 05. लिछमणराम पुत्र श्री कोलाराम
- सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम गगाड़ी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

01. हमीराराम पुत्र बुधाराम, जाति जाट, निवासी- गगाड़ी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
 02. अमदाराम पुत्र श्री चेनाराम
 03. उगराराम पुत्र श्री कानाराम
 04. केसू पत्नी श्री सोनाराम
 05. किशनाराम पुत्र श्री हुकमाराम
 06. खीयाराम पुत्र श्री हुकमाराम
 07. गोकलराम पुत्र श्री हुकमाराम
 08. चूनाराम पुत्र श्री सोनाराम
 09. जेठाराम पुत्र श्री कानाराम
 10. टीकूराम पुत्र श्री सोनाराम
 11. बीजाराम पुत्र श्री कानाराम
 12. भगवानाराम पुत्र श्री कानाराम
 13. मूलाराम पुत्र श्री कानाराम
 14. राजुराम पुत्र श्री कानाराम
 15. गोरखाराम पुत्र श्री हनाराम
 16. बगतू पत्नी हनाराम
- सभी जातियान् जाट, निवासीगण- बिजारिया बावड़ी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
17. तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।
 18. श्री उपखण्ड अधिकारी औसियां, जिला जोधपुर।



रेसपो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07 नवंबर 2022
सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 158/2022
हमीराराम बनाम किलाराम इत्यादि

(02)2023-365RAAJodhpur2023-179RTA223 Kilaram ors Vs Hamiraram etc

01. किलाराम पुत्र श्री बुधाराम
02. ईमरती पत्नी श्री कोलाराम
03. छगनाराम पुत्र श्री कोलाराम
04. रूघनाथराम पुत्र श्री कोलाराम
05. लिछमणराम पुत्र श्री कोलाराम
सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम गगाड़ी, तहसील तिंवरी,
जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

01. हमीराराम पुत्र बुधाराम, जाति जाट, निवासी- गगाड़ी, तहसील
तिंवरी, जिला जोधपुर।
02. अमदाराम पुत्र श्री चैनाराम
03. उगराराम पुत्र श्री कानाराम
04. केसू पत्नी श्री सोनाराम
05. किशनाराम पुत्र श्री हुकमाराम
06. खीयाराम पुत्र श्री हुकमाराम
07. गोकलराम पुत्र श्री हुकमाराम
08. चूनाराम पुत्र श्री सोनाराम
09. जेठाराम पुत्र श्री कानाराम
10. टीकूराम पुत्र श्री सोनाराम
11. बीजाराम पुत्र श्री कानाराम
12. भगवानाराम पुत्र श्री कानाराम
13. मूलाराम पुत्र श्री कानाराम
14. राजुराम पुत्र श्री कानाराम
15. गोरखाराम पुत्र श्री हनाराम
16. बगतू पत्नी हनाराम
सभी जातियान् जाट, निवासीगण- बिजारिया बावड़ी, तहसील
तिंवरी, जिला जोधपुर।
17. तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।



राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

18. श्री उपखण्ड अधिकारी औसियां, जिला जोधपुर।

रेसपो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18 अप्रैल 2023
सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 158/2022
हमीराराम बनाम किलाराम इत्यादि

उपस्थित—

श्री नरपत चौधरी, अधिवक्ता—अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेसपोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेसपो. संख्या 17 व 18

निर्णय



दिनांक : 05 फरवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 158/2022 अनवान हमीराराम बनाम किलाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07 नवंबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18 अप्रैल 2023 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमशः 15 सितंबर 2023 एवं दिनांक 14 सितंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलाण्ट्स की ओर से दोनो में अपीलों में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय—वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग—अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेसपोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 452/1 रकबा 02.9251 हैक्टेयर, खसरा नं. 427 रकबा 03.8283 हैक्टेयर, ग्राम गगाड़ी एवं खसरा नं. 467 रकबा 03.4803 हैक्टेयर, खसरा नं. 466/1 रकबा 00.6880 हैक्टेयर, खसरा नं. 466/3 रकबा 01.8297 हैक्टेयर, खसरा नं. 465/4 रकबा 04.2654 हैक्टेयर ग्राम बिजारिया बावड़ी तहसील


राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तिंवरी के संबंध धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07 नवंबर 2022 पारित कर तहसीलदार तिंवरी से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरुद्ध अपीलांट्स द्वारा अपील संख्या 181/2023 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार तिंवरी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद अंतिम रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18 अप्रैल 2023 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील संख्या 179/2023 प्रस्तुत की है।



बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयाँ अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा पारित किये जाने से अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों की अपीलांट्स पर सम्यक तामील नहीं हुई है। रेस्पोंडेंट संख्या एक द्वारा तामील कुनिंदा के साथ षडयंत्र रचकर अपीलांट्स के फर्जी व कुटरचित अंगुष्ठ निशान व हस्ताक्षर करके झूठी व गलत तामील रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवायी है, जिस वजह से अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ तथा मूल वाद के विचारण की जानकारी नहीं हो सकी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त फर्जी तामील रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट्स के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाते हुए एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीया पारित कर दी। अपीलांट्स की ओर से फर्जी तामील के विरुद्ध पुलिस थाना मथानिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 74/2022 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी. भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज करवायी है जो वर्तमान में जैर अनुसंधान है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले में प्रतिवादीगण से जवाब लिये बिना, वाद एवं जवाब के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना तथा उभय की साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये अपीलांट्स की स्वअर्जित कृषि भूमि को भी बंटवाड़ा प्रस्ताव में शामिल करके कुल योग से ज्यादा रकबा बताकर रेस्पोंडेंट संख्या एक/वादी का हक-हिस्सा बंटवाड़ा प्रस्ताव में ज्यादा बता दिया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत गवाहन के शपथ-पत्र के प्रथम पृष्ठ के पिछे के भाग पर वादी के हस्ताक्षर मार्क नहीं किये गये है एवं उक्त शपथ-पत्र के अनुसार प्रदर्श किये गये दस्तावेज पर भी न्यायालय की मोहर एवं हस्ताक्षर नहीं है।

वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव अपीलांट्स को बिना सूचना दिये उनकी अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा राजस्व कर्मचारी वक्त विभाजन मौके पर भी नहीं आये है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 के विरुद्ध तैयार किये जाने तथा नियम विरुद्ध विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि-विरुद्ध पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

दोनों अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या एक द्वारा षडयंत्र रचकर अपीलांट्स के विरुद्ध फर्जी तामील करवाये जाने तथा विचारण न्यायालय द्वारा उक्त फर्जी तामील के आधार पर अपीलांट्स के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। अपीलांट्स द्वारा दिनांक 14.09.2023 से करीब दस दिन पूर्व अपने किसी काम से जमाबंदी की नकल लेने पर जमाबंदी में अपना नाम न पाकर हके-बके रह गये। अपीलांट्स द्वारा अपने स्तर पर जानकारी प्राप्त करने पर मालूम हुआ कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स का नाम जमाबंदी से हट गया है। तब अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयों की नकले लेकर जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपीले प्रस्तुत की है। इससे पूर्व अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोनों अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किये जावे एवं अपीले अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 158/2022 अनवान हमीराराम बनाम किलाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07 नवंबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18 अप्रैल 2023 को खारिज फरमाया जावे एवं राजस्व रेकर्ड में पूर्व की प्रविष्टि को कायम किये जाने के आदेश फरमावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पोंडेंट संख्या एक, पांच व नौ के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की हैं विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सूचित किया गया है। अपीलांट्स के विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में दोनो अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को भेजे गये सम्मन की पावति रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट्स पर तामीली हेतु भेजे गये सम्मनों तामील रिपोर्ट पर दो स्वतंत्र गवाह/मौतबिरान् के हस्ताक्षरों का अभाव पाया जाता है तथा उक्त सम्मनों पर तहसीलदार कार्यालय की मुहर भी अंकित नहीं है। अपीलांट्स की ओर से फर्जी तामील के संबंध में पुलिस थाना मथानिया में प्राथमिकी भी दर्ज करवायी गई है। लिहाजा विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानों अनुसार अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्रीयों पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं होना लाजमी है। न्याय हित में मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु दोनो अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किये जाते हैं तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी/रेस्पो. द्वारा अपने वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के पुश्तैनी होने के संबंध में किये गये कथनों, वांछित अनुतोष के समर्थन में अद्यतन राजस्व अभिलेख के सिवाय किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने के उसके कथनों पुष्टि हो सके। वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य(शपथ-पत्र) को भी विचारण न्यायालय द्वारा प्रदर्श मार्क नहीं किया गया है तथा न ही विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के उक्त शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर मौजूद है। विचारण न्यायालय आदेशिका दिनांक 19.10.2022 एवं दिनांक 31.10.22 के जरिये मामले में विवाद्यक कायम किये जाने हेतु पत्रावली नियत की गई, किंतु विवाद्यक विरचित नहीं किये गये हैं। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 07.11.2022 को पत्रावली को पेशी में रखकर विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले में विवाद्यक बिंदु तय किये बिना तथा उभय पक्ष से साक्ष्य लिये बिना मामले का तनकीवार विवेचन किये बिना विधिक प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते हैं।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.02.2023 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार तिवरी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अपीलाट्स की अनुपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय में द्वारा नियम विरुद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिविरुद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 158/2022 अनवान हमीराराम बनाम किलाराम इत्यादि में पारित निर्णय


राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07 नवंबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18 अप्रैल 2023 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से वाद का निस्तारण करे

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओमप्रकाश विश्णोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुरारी
जोधपुर